

सं.12012/2/2021-यूपीपी (ई-29038)

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 8 जून, 2023

कार्यालय जापन

विषय: नई यूरिया नीति-2015 के तहत वर्ष 2022-23 की पहली दूसरी तीसरी तथा चौथी तिमाहियों हेतु अनंतिम आयात समता मूल्य (आईपीपी) की अधिसूचना।

उर्वरक विभाग की दिनांक 25 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 12012/1/2015-एफपीपी (8 जून, 2015 के स्पष्टीकरण के साथ पठित) जोकि मौजूदा गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति-2015 के संबंध में है, के अनुसरण में अंतरराष्ट्रीय बाजार से नामोद्दिष्ट यूरिया आयातक एजेंसियों (ओमिफको को छोड़कर) द्वारा सरकारी खाते से भारतीय पत्तन पर दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022, 1 जुलाई, 2022 से 30 सितम्बर, 2022, 01 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तथा 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान औसत भारित सीएफआर (लागत, बीमा तथा मालभाड़ा) के आधार पर आकलित यूरिया का अनंतिम आयात समता मूल्य (आईपीपी) तथा उक्त अवधि के दौरान आयातित यूरिया पर किया गया आकस्मिक व्यय निम्नानुसार है:

2022-23	आईपीपी (रुपए/मी.टन)	आकस्मिक व्यय (रुपए/मी.टन)
01.04.2022 से 30.06.2022	56,380.31/-	1,399.86/-
01.07.2022 से 30.09.2022	50,129.78/-	1,399.14/-
01.10.2022 से 31.12.2022	52,071.01/-	1,405.27/-
01.01.2023 से 31.03.2023	43,203.23/-	1,404.19/-
वार्षिक 2022-23 (भारित औसत)	50,706.60/-	1,402.90/-

2. इसे समसंख्यक ई-फाइल के माध्यम से अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा सचिव (उर्वरक) द्वारा दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निरंजन लाल)

निदेशक (यूपीपी)

दूरभाष: 23383814

ई मेल: niranjana.lal@ord.gov.in

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (एफआईसीसी),
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति,
सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:-

1. निदेशक (एफएस)
2. निदेशक (वित्त एवं बजट), उर्वरक विभाग
3. निदेशक (संचलन), उर्वरक विभाग
4. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।



(निरंजन लाल)

निदेशक (यूपीपी)

दूरभाष: 23383814

ई मेल: niranjana@ord.gov.in